संख्या-11/ 2022/I/145352/2022/71-4099/1/2021-4

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2022

विषयः-राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में शैक्षिणक श्रेणी पदों के सृजन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी.आई.एम.एस./2021/2031,दिनांक 06.12.2021के संदर्भ में एवं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन (संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ व उसके समतुल्य संस्थाओं को छोड़कर) राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति एवं चिकित्सालय के सुगम संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यक मानव संशाधन के लिए पदों के सृजन हेतु मानदण्डों के निर्धारण के संबंध में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1561/2021/71-2099/753/2021, दिनांक 16.09.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा हेतु निम्नांकित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार शैक्षणिक श्रेणी के 83 पदों को अस्थायी रूप से दिनांक 28.02.2023 तक के लिए बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय प्रदान करते है-:

क्रम संख्या	पदनाम	प्रस्तावित पद	सादृश्य वेतन बैण्ड (रूपयें)
1	आचार्य	4	एकेडमिक लेवल-14 (इन्ट्री पे रू0 1,44,200)
2	सह-आचार्य	11	एकेडमिक लेवल-13 ए (इन्ट्री पे रू0 1,31,400)
3	सहायक आचार्य	18	एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रू0 68,900)
4	स्टेटिस्टिशियन कम सहायक आचार्य	01	एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रू0 68,900)
5	सीनियर रेजीडेण्ट	14	एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रू0 68,900)
6	ट्यूटर	02	एकेडमिक लेवल-10 (56,100-1,77,500)
7	जूनियर रेजीडेण्ट	33	एकेडमिक लेवल-10 (56,100-1,77,500)
कुल योग		83	

1. प्रश्नगत पद एन0एम0सी0 के मानकों/गाईड-लाइन तथा संस्थान की कार्यात्मक एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप हैं, सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. प्रश्नगत पदों का वेतनमान व पदनाम संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार विद्यमान शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं, भी सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत पदों पर नियुक्तियॉ पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुसंगत नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।
4. इन पदों की अर्हता का पूर्ण निर्धारण एन0एम0सी0, नई दिल्ली के मानकानुसार तथा संस्थान के बायलॉज में उल्लिखित प्राविधानानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा।
5. अर्हता के निर्धारण के पश्चात ही सुसंगत नियमानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से नियमों के अन्तर्गत नियुक्तियां की जायेंगी।
6. उपरोक्तानुसार सृजित पदों पर चयन/नियुक्ति संस्थान के बायलॉज में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के आरक्षण नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार की जायेगी

2- उक्त पदों पर होने वाला व्यय चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2210-05-105-03-0371-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1561/2021/71-2099/753/2021, दिनांक 16.09.2021 के दृष्टिगत वित्त विभाग द्वारा एतद्संबंधी पत्रावली संख्या-71-4099/-4099/1/2021 में प्रदत्त वित्त विभाग की अनापत्ति के उपरान्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
5- वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कासना, ग्रेटर नोएडा।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट)अनुभाग-1/2/वित्त (वेतन आयोग)
7- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा सें

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in